



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

ए. यू. स्माल फाईनेन्स बैंक बनाम अजीत सिंह व अन्य

प्रकरण संख्या 123 /2024 ( धारा 14 सिक्वोरिटॉरिजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष वितरण
23.07.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (जयपुर) ग्रामीण</p>	<p style="text-align: right;">Not Press  23/07/2024</p>